वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिये गये सुझाव

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के ***वार्षिक प्रत्यावेदन को प्रत्येक वर्ष विधान–सभा पटल पर रखे जाने*** की स्वीकृति प्रदान की जाय।

2. उत्तराखण्ड राज्य में ***"अल्पसंख्यक महिला कल्याण परिषद का गठन"*** किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

3. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ***(प्रक्रिया और कार्य संचालन)*** *विनियमावली–2025* के प्रख्यापन की स्वीकृति प्रदान की जाय।

4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में नामित सदस्यों का मानदेय रू0 6000/– से बढ़ाकर ***उत्तर–प्रदेश की भांति रू0 25,000/– की स्वीकृति*** प्रदान की जाय।

5. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को ***अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु मा0 आयोग*** को अधिकृत किया जाय।

6. अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग के शासनादेश सं0–65/XVII–3/16–60(स.क.)/2013–टी0 सी0 दिनांक 15.01.2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ***राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 प्रतिशत बजट अल्पसख्यंकों हेतु जारी*** किया जाय।

7. प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के ***सभी विकासखण्डों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तैनाती*** की स्वीकृति प्रदान की जाय।

8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत तैनात समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को भी ***कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना से लाभान्वित*** किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

9. अल्पसंख्यक विकास निधि एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट को बढ़ाते हुए ***रू0 10–10 करोड़*** किया जाय।

10. राज्य लोक सेवा आयोग में ***अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को भी एक सदस्य के रूप में नामित*** किया जाय।

11. मुख्यमंत्री हुनर योजनान्तर्गत वक्फ विकास निगम के बजट को ***रू0 10 करोड़ स्वीकृत*** किया जाय।

12. अल्पसख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को ***निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था*** की जाय।

13. प्रत्येक वर्ष 18 दिसम्बर को *"विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस"* का आयोजन प्रदेश भर में किया जाता है, इस दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

14. नानकमत्ता गुरूद्वारे को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

15. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की बालिकाओं हेतु "अल्पसंख्यक बालिका विवाह हेतु अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की जाय।

16. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वक्फ विकास निगम की रोजगार परक योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री हुनर योजना में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाते हुए *"छः माह* किया जाय तथा बजट की व्यवस्था ***रू0 10 करोड़ किये*** जाने की स्वीकृति के साथ–साथ ही अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में भी ***अनुदान की धनराशि 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति*** प्रदान की जाय।

17. राज्य सरकार की कक्षा–1 से कक्षा–10 तक की छात्रवृत्ति की अनुदान धनराशि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

18. चार धाम यात्रा मार्ग की केन्द्रीय व प्राचीन ***श्रीनगर स्थित जैन मंदिर को पर्यटन मानचित्र*** पर लाये जाने हेतु पर्यटन विभाग से सरकार दिशा–निर्देश जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

19. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित पंजीकृत/अपंजीकृत कब्रिस्तान/सेमेन्टरी की चाहरदीवारी हेतु कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना को पुनः लागू किया जाय।

20. उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ/रक्षोपाय हेतु समस्यों के निराकरण हेतु प्रत्येक जनपद स्तर से एक व्यक्ति को सदस्य नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।